प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार का कार्यालय
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
पत्रांक– 1236

पटना, दिनांकः– 03-09-2024

आदेश

यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में बेतिया राज की जितनी भी भू–सम्पत्ति है उसका गहन सर्वेक्षण (सर्वे) कराया जाय। उल्लेखनीय है कि सभी बेतिया राज की सम्पत्तियों को बिहार राज्य में Vest किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसे में नितांत आवश्यक है कि बिहार राज्य के जिन छः जिलों में बेतिया राज की भूमि अवस्थित है यथा– पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सारण, गोपालगंज, सिवान एवं पटना, उन जिलों में इन परिसम्पत्तियों का गहन सर्वे प्रारम्भ किया जाय। साथ ही सर्वे का यह उद्देश्य भी पता लगाना है कि पूर्व में कोई भूमि बेतिया राज में निहित थी लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थीं।

सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त सर्वे तत्काल प्रारम्भ किया जाय। उपरोक्त सर्वे की समीक्षा माह में दो बार स्वयं प्रतिपाल्य अधिकरण–सह–अध्यक्ष, राजस्व पर्षद द्वारा की जायेगी। सर्वे की गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता हैः–

1. अध्यक्ष प्रतिपाल्य अधिकरण–सह– अध्यक्ष, राजस्व पर्षद।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि।
3. राजस्व विभाग में सर्वे संबंधित कार्य को देखने वाले निदेशक।
4. संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी।
5. सचिव, राजस्व पर्षद।

सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे बेतिया राज के सभी सम्पत्तियों का सही सर्वे तुरंत प्रारंभ करें और ऐसी नई सम्पत्तियों को ढूढ़ने का प्रयास करें जोकि भू–अभिलेखों के अनुसार बेतिया राज की थीं किन्तु इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं थी।

(के0 के0 पाठक)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद –सह–
प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1236 पटना, दिनांकः– 03-09-2024

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0 के0 पाठक)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद –सह–
प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1236 पटना, दिनांकः– 03-09-2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/ श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग –सह– निदेशक (सर्वे), भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सारण, गोपालगंज, सिवान एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0 के0 पाठक)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद –सह–
प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार, पटना।